कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 83 /FP/UK/ROAD/67274/2020 देहरादूनःदिनॉक 7 जुलाई, 2021

सेवा में,

श्री प्रवीण कुमार,
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषय– जनपद–पिथौरागढ़ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–901/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट पैयापौड़ी मोटर मार्ग के विस्तार किमी0 9.40 से 16.40 तक चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु 4.335 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

उक्त विषयक आपके माध्यम से प्रश्नगत प्रस्ताव दिनांक 13–05–2021 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ था, जिसके परीक्षणोपरान्त दिनांक 19–05–2021 को Online Observations प्रेषित किये गये थे। उक्त Observations के उत्तर एवं आपके पत्र दिनांक 17–06–2021 के साथ हार्ड प्रति की तीन प्रतियां (लगभग एक माह पश्चात्) प्राप्त हुई हैं। आप द्वारा प्रस्तुत हार्ड प्रति के गहन अवलोकन करने के पश्चात् निम्न प्रकार प्रस्ताव में अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है।

1. प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये विषयसूची संलग्न करें।
2. प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–2 के बिन्दु संख्या–(VI) में हरियाली का घनत्व अंकित नहीं किया गया है।
3. वन अधिकार अधिनियम, से सम्बन्धित जिला स्तरीय समिति के प्रपत्र में तिथि अंकित नहीं की गई है।
4. प्रस्ताव में वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाला प्रपत्र भाग–3 संलग्न नहीं किया गया है।
5. प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना वर्तमान दरों के अनुसार नहीं है। कृपया संशोधित सी0ए0 योजना संलग्न करें। प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–15.5 में प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।
6. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–18 में परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने के प्रमाण–पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। कृपया प्रमाण–पत्र में हस्ताक्षर करवाकर प्रस्ताव में संलग्न करें।
7. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–19 में परियोजना की राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य से दूरी 1.10 किमी0 अंकित की गई है, उक्त के क्रम में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की संस्तुति ऑनलाईन पार्ट–II में अपलोड की गई है, परन्तु हार्ड प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गयी है। उक्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्ताव में संलग्न करें।
8. भू–वैज्ञानिक की आख्या प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। कृपया संलग्न करें।
9. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–33 में लाभान्वित होने वाले ग्रामों की संख्या एवं परिवार की संख्या का योग त्रुटिपूर्ण है।

अतः उपरोक्त कमियों का निराकरण करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी/प्रभागीय वनाधिकारी को अपने स्तर से निर्देशित करते हुये **कमियों का पूर्ण निराकरण करवाकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।**

भवदीय,

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्याः– 83 /FP/UK/ROAD/67274/2020 दिनॉकित।

प्रतिलिपि :– श्री विनय भार्गव, प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि **प्रस्ताव में इंगित कमियों का प्रस्तावक विभाग से पूर्ण निराकरण करवाकर प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।**

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।